रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 350] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 1970/आश्विन 1, 1892

No. 350] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 1970/ASVINA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September 1970

S.O. 3125.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service connected with the supply of electrical energy by the Damodar Valley Corporation established under the Damodar Valley Corporation Act, 1948, or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the first-mentioned Act.

[No. F. 20(11)/70-PE.]

V. V. CHARI, Secy.

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर 1970

का० आ० 3125.—आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, जिसकी यह राय है कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित

दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत् शक्ति के प्रदाय या ऐसे प्रदाय के लिए विद्युत् शक्ति के उत्पादन, भंडारकरण या संचरण से संबंधित किसी सेवा में हड़तालों के परिणामस्वरूप समुदाय को गम्भीर कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, एतद् द्वारा प्रथम वर्णित अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हर ऐसी सेवा को आवश्यक सेवा घोषित करती है ।

[सं० फा० 20(11)/70—सा०उ०

वी० वी० चारि, सचिव ।

ORDER

New Delhi, the 23rd September 1970

S.O. 3126.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following order:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service connected with the supply of electrical energy by the Damodar Valley Corporation established under the Damodar Valley Corporation Act, 1948, or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply, which has been declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power, No S.O. dated the.....1970, to be an essential service for the purposes of the first-mentioned act.

[No. F. 20(11)/70-PE.]

By order and in the name of the President.

V. V. CHARI, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर 1970

का० आ० 3126.—यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में निम्नलिखित आदेश बनाना आवश्यक है :

अत:, अब, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत् शक्ति के प्रदाय से या ऐसे प्रदाय के प्रयोजन के लिए विद्युत् शक्ति के उत्पादन, भंडारकरण या संचरण से संबंधित किसी ऐसी सेवा में हड़तालों का प्रतिषेध करती है, जिसे भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० तारीख 1970 द्वारा प्रथम वर्णित अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सेवा घोषित किया जा चुका है ।

[सं० फा० 20(11)/70—सा० उ०]

राष्ट्रपति के नाम में और आदेश से ।

वी० वी० चारि, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970